

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक



759

वाद सं०- 116 / 2018

धारा-107 दण्डाधिकारी

युगा मुख वगैरे

बनाम सीमा उराव वगैरे

आदेश की तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्य एवं दिखनी तारीख
19-09-18	<p>अगिलेख सं०-एन. 116 / 2018, में दण्डाधिकारी की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०- 25/18 दिनांक-15-8-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खसरा नं० 101 (लॉट नं० 1250) का 35300 रुमि का लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध दण्डाधिकारी की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करे कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उन्से प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 08/10/18 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	

द्वितीय पत्र की कोटि से गवाही लालमोहन गौरी से परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण लिया गया तथा गवाही से मुक्त किया गया। प्रथम पत्र की कोटि से न्यायालय में आवेदन देकर अनुमोदित किया गया है कि वाद में दो माह का अवधि विस्तार किया जाय। प्रथम पत्र के आवेदन को अस्वीकृत किया जाया है दिनांक 10-05-19 को ही है।

  
22/05/19

10-05-19

आभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र अनुपलब्ध द्वितीय पत्र क्रमांक 01, 03 उपलब्ध अन्य अभिवक्ता हलसी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कालवाप्त हो गया है अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है।

  
10/05/19